[2019] 6 एस. सी. आर 1082

गोविंद सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 770)

29 अप्रैल, 2019

[आर. भानुमति और आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति]

दंड संहिता, 1860:

धारा 300 अपवाद 4 और धारा 304 (भाग II) - धारा 302 के अन्तर्गत अपीलार्थी-अभियुक्त का अभियोजन - अपनी बेटी (मृतक) की मौत का कारण बनने के लिए - घटना के चश्मदीद गवाह मुकर गए - विचारण न्यायालय ने मृत्युकालिक कथनपर भरोसा करते हुए धारा 302 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया - आजीवन कारावास की सजा लगाई गई - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: यह घटना अचानक और बिना किसी पूर्वधारणा के पल भर की उत्तेजना में हुई थी - इसलिए, अभियुक्त का कृत्य धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आता है - धारा 304 (भाग II) के तहत दोषसिद्धि को संशोधित किया जाता है - सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि यानी लगभग ग्यारह साल कर दिया गया है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. यह पूरी घटना पल भर की उतेजना में हुई थी। पिता और बेटी के बीच इस बात को लेकर झगड़ा था कि बल्ब कहाँ लगाना है। अचानक हुए झगड़े में और पल भर की उतेजना में, अपीलार्थी ने अपनी बेटी पर चिमनी लैंप फेंक दिया। यह घटना अचानक हुई थी और कोई पूर्वधारणा नहीं थी। चिमनी लैंप वहाँ जल रहा था, जिसे अपीलार्थी ने उठाया और मृतक पर फेंक दिया था। चूँकि घटना अचानक हुई थी और कोई पूर्वधारणा नहीं थी, इसलिए अभियुक्त का कृत्य धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आता है। [पैरा 7] [1084-एफ-जी]

2. आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त की सजा को धारा 304 भाग-2 आई.पी.सी. के तहत संशोधित किया जाता है। अपीलार्थी-अभियुक्त लगभग ग्यारह वर्ष और आठ महीने का कारावास गुजार चुका है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा गुजार चुके कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए, कारावास की सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि में संशोधित किया गया है। [पैरा 8] [1084-एच; 1085-ए-बी]

आपराधिक अपील अधिकारिता: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 770

2008 की आपराधिक अपील संख्या 587 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 11.04.2013 के निर्णय और आदेश से।

राम लाल रॉय, श्रीमती अंजनी अय्यगारी, अधिवक्तागण, अपीलार्थी के लिए।

प्रणव सचदेवा, सुश्री नेहा राठी, जतिन भारद्वाज, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा बिलासपुर में 2008 की आपराधिक अपील संख्या 587 में पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है जिसमें उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और अपीलार्थी को दी गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतका ललिता दिनांक 23.05.2007 को शाम 7:30 अपनी दोस्त देव कुमारी (पी.डब्लू.-1) के साथ अपने कमरे में बैठी थी, जबकि उसकी मां इंद्र कुंवर (पी.डब्लू.-2) घर के अंदर खाना बना रही थी। उस समय, मृतका के अपीलार्थी-पिता उसके कमरे में आए और यह कहते हुए बल्ब निकाला कि वह उसे आंगन में लगाना चाहते हैं। जब मृतका ने अपने पिता गोविंद सिंह से ऐसा न करने के लिए कहा, तो उन्होंने तार काट दिया। जब मृतका ने तार को फिर से जोड़ना शुरू किया, तो अपीलार्थी ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप तीखी नोकझोंक हुई। गुस्से में अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतका ललिता पर जलता हुआ चिमनी लैंप फेंक दिया जिससे वह झुलस गई। मृतका की चीख सुनकर, उसकी मां (पी.डब्लू.-2) और उसकी दोस्त देव कुमारी (पी.डब्लू.-1) उसके पास पहुंचीं। राम दयाल (पी.डब्लू.-4) और मनु (पी.डब्लू.-3) ने मृतका पर पानी डालकर आग बुझाई। इसके तुरंत बाद, मृतका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ओडगी ले जाया गया, जहाँ डॉ. पी.के. पटेल (पी.डब्लू.-9) ने उसका उपचार किया। प्रारंभिक उपचार के बाद, मृतका को जिला अस्पताल, अंबिकापुर के लिए भेज दिया गया। जब मृतका जिला अस्पताल, अंबिकापुर में इलाज करा रही थी, तब उसने 30.05.2007 को दम तोड़ दिया। शुरू में मामला आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत दर्ज किया गया था जिसे बाद में आई.पी.सी. की धारा 307 में बदल दिया गया था। डॉ. पी.के. पटेल (पी.डब्लू.-9) की उपस्थिति में, पी.डब्लू.-21-कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक की मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श-पी-16) दर्ज की गई, जिन्होंने मृतक की स्वस्थ, मानसिक स्थिति के बारे में प्रमाणित किया। चश्मदीद गवाह देव कुमारी (पी.डब्लू.-1), मां इंदिरा कुंवर (पी.डब्लू.-2), मनु सिंह (पी.डब्लू.-3) और राम दयाल (पी.डब्लू.-4) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और मुकर गए। मुख्य रूप से मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श-पी-16) पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और अपीलार्थी पर लगाए गए कारावास की सजा की पुष्टि की। व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी हमारे सामने है।

4. हमारे दिनांकित 10.08.2018 आदेश द्वारा, नोटिस केवल अपराध की प्रकृति और सजा की मात्रा तक ही सीमित था।

5. हमने अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर रखे गए आक्षेपित निर्णय और अन्य सामग्रियों का अध्ययन किया है।

6. घटना शाम 7.30 बजे हुई थी। जब मृतका अपनी दोस्त देव कुमारी (पी.डब्लू.-1) से बात कर रही थी, तो अपीलकर्ता-आरोपी बल्ब निकालना चाहता था क्योंकि वह उसे आंगन में लगाना चाहता था, जिसके लिए मृतका ने आपत्ति जताई। अपीलार्थी-पिता और उसकी मृतका बेटी के बीच जुबानी झगड़ा हुआ। जुबानी

झगड़े में, अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतका पर चिमनी लैंप फेंक दिया जिससे वह झुलस गई। उसके चेहरे, छाती और पेट और पैरों के नीचे के हिस्सों में चोटें आई हैं। घटना के सात दिन बाद मृतका ने दम तोड़ दिया।

7. यह पूरी घटना पल भर की उतेजना में हुई। पिता और बेटी के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि बल्ब कहाँ लगाना है। अचानक हुए झगड़े में और पल भर की उतेजना में, अपीलार्थी ने अपनी बेटी पर चिमनी लैंप फेंक दिया। यह घटना अचानक हुई थी और इसकी कोई पूर्वधारणा नहीं थी। चिमनी लैंप वहाँ जल रहा था जिसे अपीलार्थी ने उठाया और मृतका पर फेंक दिया था। चूँकि घटना अचानक हुई थी और कोई पूर्वधारणा नहीं थी, इसलिए अभियुक्त का कृत्य धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आता है।

8. आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त की सजा को धारा 304 भाग-2 आई.पी.सी. के तहत संशोधित किया गया है। जेल प्रमाणपत्र के अनुसार, अपीलार्थी-अभियुक्त ने 26.08.2017 तक लगभग 10 वर्ष, 2 महीने और 25 दिन जेल में बिताए थे। अब तक, अपीलार्थी-अभियुक्त लगभग ग्यारह वर्ष और आठ महीने के कारावास से गुजर चुका है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए, जो अपीलार्थी-अभियुक्त ने गुज़ारी है, कारावास की सजा को पहले से गुज़री हुई अवधि में संशोधित किया जाता है।

9. अपीलार्थी-अभियुक्त की आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 भाग-2 आई.पी.सी. के तहत संशोधित किया गया है। अपीलार्थी पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को घटाकर अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा पहले से गुज़ारी गई अवधि तक कर दिया जाता है। अपीलार्थी-अभियुक्त को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो।

10. उपरोक्त शर्तों में अपील की आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील की आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

<u>अस्वीकरण :</u>
क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.